

## भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) सम्मेलन में उद्घाटन भाषण\*

शक्तिकान्त दास

मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) द्वारा आयोजित प्रथम भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) सम्मेलन में उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। यह वास्तव में गर्व की बात है कि भारतीय भुगतान प्रणालियों को विश्व स्तर पर अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ और भविष्य के लिए तैयार प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। यह सभी पीएसओ, सरकार और रिज़र्व बैंक के संयुक्त प्रयास हैं जिसने भारत को वैश्विक भुगतान क्षेत्र में एक चमकता सितारा बना दिया है। इसे पूरा करने के लिए प्रत्येक हितधारक द्वारा किए गए प्रयासों की रिज़र्व बैंक सरहाना करता है। इस सम्मेलन के विषय (पेमेंट्स रेंदेवू - रिमेन्स, रिवाइटलाइज, अर्थात् - भुगतान प्रणाली पर बैठक - समीक्षा, पुनःऊर्जन) को देखते हुए इस संबंध में अब तक की यात्रा का जायजा लेने और आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए यह एक उपयुक्त समय है।

इतने वर्षों में, रिज़र्व बैंक की प्रमुख पहलों की अगुवाई में, भारत में भुगतान परिदृश्य एक अत्याधुनिक प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है जो सस्ती, सुलभ, सुविधाजनक, तेज, संरक्षित और सुरक्षित है। भारत का भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचा उपभोक्ताओं के विविध समूह की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें बड़े मूल्य के भुगतान, खुदरा क्रेडिट अंतरण, त्वरित भुगतान, चेक समाशोधन, कार्ड भुगतान, दोहराव वाले थोक भुगतान, बिल भुगतान, टोल संग्रहण, ऑफ़लाइन भुगतान आदि को निष्पादित करने के लिए कई भुगतान विकल्प शामिल हैं। भारत में लगभग 114 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन<sup>1</sup> हैं, जिसमें शहरी और ग्रामीण हिस्सेदारी क्रमशः 55 प्रतिशत और 45 प्रतिशत है।

\* भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) सम्मेलन, कोच्चि में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा उद्घाटन भाषण, 18 मार्च, 2023

<sup>1</sup> स्रोत: 31 दिसंबर 2022 तक दूरसंचार सदस्यता डेटा ([https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR\\_No.13of2023\\_0.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.13of2023_0.pdf))

मोबाइल फोन के व्यापक उपयोग के साथ-साथ इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता ने डिजिटल भुगतान को बल दिया है। इसने "किसी भी समय, कहीं भी" बैंकिंग को जन्म दिया है जो पारंपरिक शाखा बैंकिंग घंटों से परे है। जनवरी 2023 में 51 लाख करोड़ रुपये के लगभग 1,050 करोड़ खुदरा डिजिटल भुगतान लेनदेन हुए हैं जो भारत के डिजिटल भुगतान के आकार और दक्षता का प्रमाण हैं।

आज यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक समय ऐसा भी था जब किसी बैंक द्वारा जारी कार्ड का उपयोग केवल उसी बैंक के एटीएम पर किया जा सकता था। लेकिन अब एटीएम नेटवर्क ने अंतर-परिचालनीयता को सामान्य बना दिया है। इसी तरह कार्ड नेटवर्क ने भारत या विदेश में किसी भी पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल पर हमारी खरीद के लिए भुगतान करना संभव बना दिया है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने क्रमशः प्रतिभूतियों और खुदरा क्षेत्रों के लिए विश्व स्तरीय भुगतान बुनियादी ढांचा स्थापित किया है। ये दोनों संस्थान, थोक और खुदरा भुगतान क्षेत्र में, हमारे भुगतान नवाचारों के मजबूत आधार के रूप में उभरे हैं। एक दशक पहले, यह कल्पना करना मुश्किल था कि मोबाइल फोन भुगतान लेनदेन करने का इतना शक्तिशाली और व्यापक माध्यम बन जाएगा। 2016 में यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत हुई जिसने भुगतान परितंत्र में क्रांति ला दी है, जिसमें अकेले जनवरी 2023 में 13 लाख करोड़ रुपये के लगभग 803 करोड़ लेनदेन<sup>2</sup> संसाधित किए गए हैं। भारतीयों के लिए बैंकिंग सुविधाएं आज उनकी उंगलियों पर उपलब्ध हैं। अब बैंक में जाने की जरूरत नहीं रह गई, हम इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा, विदेशों में स्थित भारतीय प्रवासियों से प्राप्त विप्रेषण के महत्व को देखते हुए मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) ऑपरेटर पीएसओ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारीकर्ता कई भारतीयों के लिए दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) और इंस्टेंट मनी ट्रांसफर (आईएमटी) ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा ने नकदी निकासी के विकल्पों का विस्तार करने में मदद की है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी), भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनियंस

<sup>2,3</sup> स्रोत: आरबीआई वेबसाइट (भुगतान प्रणाली संकेतक)

(बीबीपीओयू) और नए प्रवेशकों - पेमेंट एग्रीगेटर्स (पीए) जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले पीएसओ उन क्षेत्रों में जीवन को आसान बना रहे हैं, जिनकी जरूरतों को वे पूरा करते हैं। अंत में, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफार्मों ने पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से एमएसएमई प्राप्ति को सक्षम किया है, जिससे एमएसएमई की चलनिधि स्थिति में सुधार हुआ है। औसतन 7,200 करोड़ रुपये मूल्य की 35,000 फैक्ट्रिंग यूनिट्स (एफयू)<sup>4</sup> को हर महीने टीआरईडीएस में डिस्काउंट या वित्तपोषित किया जाता है।

रिजर्व बैंक ने भुगतान लेनदेन के साथ-साथ परितंत्र की संरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। कार्ड-आधारित ई-कॉमर्स और ऑनलाइन लेनदेन के लिए एडिशनल फॉक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) की शुरुआत, जिसे बाद में अन्य भुगतान प्रकारों और माध्यमों के लिए बढ़ा दिया गया था, भारतीय भुगतान प्रणालियों में एक सफलता की कहानी है। कार्ड लेनदेन के लिए स्विच ऑन/स्विच ऑफ सुविधा के प्रावधान जैसे सरल उपायों ने डिजिटल भुगतान में कार्डधारकों के विश्वास को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इन सभी पहलों में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को मुख्य उद्देश्य के रूप में रखा है। संपर्क रहित कार्ड लेनदेन, ऑफलाइन भुगतान ढांचा, ई-मैडेट आधारित लेनदेन, कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी), आदि अन्य उदाहरण हैं।

महामारी की अवधि, भुगतान प्रणालियों के लचीलेपन की परीक्षा की घड़ी थी। पीएसओ का संचालन करने वाले लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित थी, और उनमें से कुछ बीमार भी पड़ गए थे। ऐसे में डिजिटल भुगतान में तेजी आई और अचानक, कई और लोगों ने डिजिटल लेनदेन करना शुरू कर दिया। पीएसओ ने इस अवसर पर आगे बढ़कर उल्लेखनीय दृढ़ता दिखाई। हमारी सभी भुगतान प्रणालियों ने महामारी के दौरान अपनी उपयोगिता साबित की। अन्य बातों के अलावा मुझे याद है कि भुगतान प्रणालियों और हितधारकों को 'आवश्यक सेवाओं' के रूप में चिह्नित करने के प्रयास किए गए। यह सबसे महत्वपूर्ण कारक था जिसने सभी के लिए विभिन्न प्रकार के बाधारहित लेनदेन को संभव बनाया।

<sup>4</sup> स्रोत: आरबीआई की वेबसाइट।

हाल के वर्षों में भुगतान के क्षेत्र में रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कुछ और प्रमुख कदमों पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। दिसंबर 2019 के मध्य से एनईएफटी को 24x7 आधार पर उपलब्ध कराया गया। एक साल बाद आरटीजीएस को भी 24x7 आधार पर उपलब्ध कराया गया। इस पहल ने 24x7x365 आधार पर आरटीजीएस में सहायक भुगतान प्रणालियों के अंतर-बैंक निपटान को संभव बनाया। इसने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स द्वारा चलाए जाने वाले अतिरिक्त निपटान चक्रों की सुविधा भी प्रदान की। वर्तमान में लगभग 90 बहुपक्षीय निवल निपटान बैच फाइलें आरटीजीएस में दिन के दौरान लेनदेन के निपटान को प्रभावित करने के लिए पोस्ट की जाती हैं। इससे तरलता, ऋण और निपटान संबंधी मंडराते जोखिम कम हो गए हैं।

कार्ड भुगतान क्षेत्र में रिजर्व बैंक ने केवल कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क के साथ कार्ड डेटा के भंडारण को सीमित रखने के निर्देश जारी किए हैं। एटीएम से नकद निकासी अब कार्ड की आवश्यकता के बिना की जा सकती है। कल्पना कीजिए कि अब कार्ड से संबंधित कितने एटीएम धोखाधड़ी को कम किया जा सकता है।

यूपीआई के संबंध में हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं। यूपीआई में रुपये क्रेडिट कार्ड को अंतर्निहित साधन के रूप में अनुमति दी गई है। ऑफलाइन भुगतान के लिए यूपीआई लाइट पेश किया गया है। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई लेनदेन सुलभ कराने के लिए यूपीआई 123पे पेश किया गया था। फरवरी 2023 में जी20 राष्ट्रों से आने वाले यात्रियों को यूपीआई सुविधा देने के लिए "यूपीआई वन वर्ल्ड" लॉन्च किया गया था। इसके अलावा, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में आवक भुगतान की अनुमति दी गई है ताकि एनआरआई अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों की ओर से उपभोग, शिक्षा और अन्य बिलों का निर्बाध भुगतान कर सकें। इससे बीबीपीएस के दायरे, पहुंच और उपयोगिता में काफी वृद्धि हुई है।

रिजर्व बैंक ने पीपीआई जारीकर्ताओं, कार्ड नेटवर्कों और डब्ल्यूएलए ऑपरेटर्स को प्रत्यक्ष सदस्यों के रूप में केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों (अर्थात् आरटीजीएस और एनईएफटी) में भाग लेने की भी अनुमति दी है, जिससे भुगतान बुनियादी ढांचे की पहुंच बढ़ रही है और मध्यस्थों को कम करने के उपाय किए जा

रहे हैं। टीआरडीडीएस में भी बीमा सुविधा, द्वितीयक बाजार परिचालन शुरू करने और वित्त प्रदाता के रूप में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन जैसे कई सुधारों की घोषणा की गई है। ये उपाय एमएसएमई को अपने बकायों की शीघ्र और अधिक लागत प्रभावी तरीके से प्राप्ति के लिए सशक्त बनाएंगे। भुगतान एग्रीगेटर (पीए) क्षेत्र में भी, रिजर्व बैंक ने पारदर्शिता बढ़ाने और इस क्षेत्र को विनियमित रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसके अलावा इनका सीधे पर्यवेक्षण भी किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक अपनी सूचनाओं को प्रसारित करने और किए गए कार्यों के बारे में परितंत्र को सूचित करने के मामले में पारदर्शी रहा है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य भारतीय भुगतान प्रणालियों को स्वस्थ बनाए रखते हुए कम नकदी वाले समाज की ओर बढ़ना है। उम्मीद यह है कि पीएसओ विनियामक उपायों को तेजी से लागू करेंगे। आइए, हम एक साथ काम करें और पूरे भुगतान परितंत्र को सभी के लिए एक उपलब्धि बनाएं।

यह तथ्य, कि रिजर्व बैंक द्वारा विकसित डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) मार्च 2018 में आधार के रूप में 100 से बढ़कर सितंबर 2022 तक 377.46 हो गया है, इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रयास कितने सफल रहे हैं। हालांकि प्रगति हुई है, फिर भी क्या अपनी पिछली सफलताओं के गीत गाना बुद्धिमानी होगी? मेरे विचार में, जवाब “नहीं” है। अक्सर यह कहा जाता है कि जीवन में एकमात्र परिवर्तन ही निरंतर रहता है। अतीत में ऐसे उदाहरण रहे हैं जहाँ कंपनियां जो बाज़ार में अपने कार्य-क्षेत्र में हावी थीं, परिवर्तन का अनुमान लगाने में विफल रहीं और उन्होंने उत्पादों और प्रक्रियाओं में नयापन नहीं लाया। नतीजतन, वे अब लगभग विलुप्त हो गई हैं। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, कुछ देश, जो पिछली शताब्दियों में वैश्विक प्रतिमान निर्धारक थे, अपनी शीर्ष स्थिति नहीं बनाए रख सके और अन्य देशों ने उनका स्थान ले लिया। इसलिए, हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, किंतु यह भी जरूरी है कि आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करके आगे का रास्ता तैयार करें।

देश में जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों से आप अवगत हैं। ‘आरबीआई कहता है’ देश में एक लोकप्रिय वाक्य बन गया है। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह हाल ही में मनाया गया। मुझे

ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने में बहुत गर्व महसूस होता है। मैं डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आप में से प्रत्येक और आपके संस्थानों की लोकप्रियता से अवगत हूँ। लेकिन, जैसा कि कहते हैं, ‘ये दिल मांगे मोर’।

अब मैं उन चुनौतियों को रेखांकित करना चाहूंगा जो हमारे सामने हैं और हम सभी उन्हें हल करने के लिए मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। रिजर्व बैंक लगातार अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल भुगतान के दायरे में लाने के काम में लगा हुआ है। भुगतान विधियों के कई विकल्प उपलब्ध कराते समय, हमारा मानना है कि अधिक लोगों को डिजिटल रूप से लेनदेन करने हेतु मनाने के लिए, डिजिटल भुगतान विधियों में उनकी जागरूकता और विश्वास को बढ़ाना जरूरी है। वित्तीय साक्षरता डिजिटल भुगतान साक्षरता की दिशा में पहला कदम है। 48 करोड़ से अधिक जनधन खाते<sup>5</sup> खोलने के बाद, इन खातों का लाभ उठाने और लोगों को यह समझने में मदद करना अच्छा होगा कि डिजिटल भुगतान उनके जीवन में कितनी आसानी ला सकता है। जागरूकता पैदा करने और गलत सूचनाओं को कम करने में पीएसओ की भूमिका महत्वपूर्ण है।

डिजिटल भुगतान में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सस्ती भी हो। पारंपरिक बैंक शाखा मॉडल एक भौतिक स्थान प्रदान करता है जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, किंतु डिजिटल भुगतान में ऐसा नहीं होता। उसमें उपयोगकर्ताओं को कभी-कभी अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए उपयुक्त मंच का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लोगों को अपनी शिकायतों को हल करने में जितनी कठिनाई होगी, उतनी ही संभावना यह होगी कि वे भविष्य में डिजिटल भुगतान का प्रयास नहीं करेंगे। पीएसओ द्वारा लेन-देन का शीघ्र मिलान ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने का एक आसान और त्वरित तरीका है। शून्य से न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ शिकायतों के नियम-आधारित समाधान के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग भी किया जा सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक की ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली की प्रशंसा होती है, फिर भी

<sup>5</sup> स्रोत: <https://pmjdy.gov.in/home>

कितने ऐसे पीएसओ हैं जिन्होंने वास्तव में इस प्रणाली को सक्षम किया है? क्या संस्थाओं को इस तरह की पहल को प्रारंभ से ही स्वीकार कर ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाना नहीं चाहिए? आखिरकार, पीएसओ सार्वजनिक धन का ही तो लेनदेन करते हैं।

डिजिटल भुगतान और इसके उपयोगकर्ताओं में वृद्धि साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और परिचालनिक लचीलेपन से संबंधित संभावित जोखिमों को भी सामने लाती है। पीएसओ को हमेशा उभरते खतरों के प्रति सचेत रहना चाहिए और उपयुक्त जोखिम शमन उपायों को लागू करना चाहिए। एक संबंधित क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है पीएसओ की उनके विक्रेताओं के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्था। विक्रेताओं के साथ सेवा स्तर के करारों को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के साथ पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे सभी समझौतों में, सेवा प्रदाता की लेखा परीक्षा करने के पीएसओ के अधिकार को हमेशा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

चूंकि भुगतान प्रणाली परिचालन प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर हैं, इसलिए नए युग की कई तकनीकी फर्में भुगतान परितंत्र में प्रवेश कर रही हैं। इनमें से कुछ पहली बार रिज़र्व बैंक के विनियामकीय दायरे में आई हैं। कई बार कुछ पीएसओ प्रणालीगत परिवर्तनों को करने की लागत जैसे विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए विनियामकीय निर्देशों का पालन करने में अनिच्छा दर्शाते हैं। इस डिजिटल युग में प्रासंगिक बने रहने और दक्षता में वृद्धि लाने के लिए प्रणाली का स्तर लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। पुरानी प्रणालियों को बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने के लिए उनमें सुधार किए जाने चाहिए। हालांकि कोई प्रणाली लचीली और सुरक्षित होने पर भी डिजिटल भुगतान में ग्राहक को कोई बुरा अनुभव आने पर वह अन्य चैनलों या भुगतान के तरीकों की ओर जा सकता है। पीएसओ की यहां बड़ी जिम्मेदारी है।

दीर्घकालिक सफलता के लिए, पीएसओ को विशेष रूप से (i) सुशासन और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए; (ii) साइबर समुत्थानशीलता के साथ सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को बनाए रखना चाहिए; और (iii) प्रभावशाली शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। ऑफलाइन भुगतान के ढांचे में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित

करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। पीएसओ सभी हितधारकों की भलाई के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) का गठन भी कर सकते हैं।

आगे की ओर देखें तो भारत में भुगतान प्रणालियों की उपलब्धियां हमारे लिए अधिक रोमांचक अवसर प्रस्तुत करती हैं। इतने बड़े पैमाने पर घरेलू स्तर पर इतनी सारी भुगतान प्रणालियों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद, विदेशों में हमारी पहुंच का विस्तार करने का समय आ गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक प्रणाली के साथ तेजी से एकीकृत होने के साथ, सीमा पार भुगतान ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। हमारे घरेलू भुगतान उत्पाद, यूपीआई और रुपये नेटवर्क, अपने वैश्विक पदचिह्न को बढ़ा रहे हैं। सिंगापुर के पे-नाऊ का यूपीआई से जुड़ना एक बड़ा कदम है। भविष्य में, अन्य देशों के साथ इस तरह के संबंध सीमापार भुगतान को सरल, सस्ती और तत्काल भुगतान सक्षम बनाएंगे। यूपीआई ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड-आधारित व्यापारी भुगतान भूतान, सिंगापुर और यूई में पहले से ही सक्षम हैं। ये सभी प्रयास वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे।

### संक्षेप में

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ हासिल किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। भुगतान और निपटान एक महत्वपूर्ण कारोबार है। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हमारा प्रयास इस तरह के नकारात्मक पक्षों को कम करने और अनुकूल स्थिति का लाभ उठाने का होना चाहिए। इसे सभी बाजार प्रतिभागियों ने समझना चाहिए और लगातार याद रखना चाहिए। हर असफल लेनदेन, हर धोखाधड़ी का प्रयास या वास्तव में हुई धोखाधड़ी, हर शिकायत जिसका संतोषजनक निवारण नहीं किया गया है, चिंता का कारण होना चाहिए और उसके लिए मूल कारण का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए। यह याद रखना अच्छा होगा कि क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाज की तरह, आप केवल आखिरी गेंद का सामना करने वाले के रूप में अच्छे हैं।

हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में कोई भी डिजिटल भुगतान यात्रा में पीछे न रह जाए। रिज़र्व बैंक के भुगतान

विजन 2025 के तहत, हम 'सभी के लिए ई-भुगतान, हर जगह, हर समय' (4ई) के मुख्य विषय के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें अपने भुगतान उत्पादों का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यह हमारे देश के लिए अवसरों की एक नई दुनिया खोलेगा। यह जी-20 की भारतीय अध्यक्षता का वर्ष है। आइए हम वैश्विक दर्शकों के सामने भारत की कहानी पेश करें। आइए हम एक साथ काम करें; एक साथ कुछ नया करें। यह

पीएसओ सम्मेलन इन सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। आपकी सक्रिय भागीदारी के साथ, मुझे यकीन है कि हम और अधिक सफलता हासिल करेंगे और अधिक दृढ़ विश्वास और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी प्रतिभागियों को मेरी शुभकामनाएं।

धन्यवाद।